क्रम-संख्या—5

रजिस्टर्ड नं० एस. एस./एन. डी. 600

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 6 जनवरी, 1993

पौष 16, 1914 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 30/सत्रह-वि-1—1 (क) 17-1992

लखनऊ, 6 जनवरी, 1993

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पर दिनांक 17 दिसम्बर, 1992 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1993)

[जैसा उत्तर, प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक निर्धारित किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में शब्द "आयोग और" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 1 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) में, शब्द "आयोग और" निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 2 में,--

(क) खण्ड (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(घ--1) 'निरीक्षक' का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और बालिकाओं की किसी संस्था के सम्बन्ध में संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है ;"

(ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत सभापति भी है ;"

(घ) खण्ड (झ) और (ञ) निकाल दिये जायगे ;

(ङ) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।"

अध्याय दो का निकाला जाना

5--मूल अधिनियम का अध्याय दो जिसम धारा 3 से 11 दी गई हैं, निकाल दिया जायेगा ।

धारा 12 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 12 में,--

(क) उपधारा (1) में शब्द "छः या इससे अधिक" के स्थान पर शब्द "चार" रख दिया जायगा ;

(ख) उपधारा (3), (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराये रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"(3) प्रत्येक ऐसे बोर्ड में एक सभापति और चार से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, द्वारा विहित रीति से की गई संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा :--

(एक) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार .. अध्यक्ष

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार न्याय विभाग .. सदस्य

(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रभारी हो । .. सदस्य

(4) कोई व्यक्ति सभापति के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि--

(क) वह निम्नलिखित पदों में से कोई पद या उसके समकक्ष कोई पद धारण न करता हो या धारण न कर चुका हो, अर्थात्--

(एक) जिला न्यायाधीश ;

(दो) जिला मजिस्ट्रेट ;

(तीन) शिक्षा निदेशक ; या

(ख) वह राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात शिक्षाविद न हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो ।

(5) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि--

(क) वह निम्नलिखित पदों में से कोई पद या उसके समकक्ष पद धारण न करता हो या धारण न कर चुका हो अर्थात्--

(एक) अपर जिला न्यायाधीश ;

(दो) अपर जिला मजिस्ट्रेट ;

(तीन) अपर शिक्षा निदेशक ;

(चार) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य ;

(पांच) ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए प्रधानाचार्य या उपाचार्य ;

(छ:) किसी संस्था का कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रधानाचार्य; या

(ख) वह राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात शिक्षाविद न हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो ।"

7--मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्-- नई धारा 12-क, 12-ख और 12-ग का बढ़ाया जाना

"12--क-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

(2) कोई भी व्यक्ति निरन्तर दो पदावधियों से अधिक के लिए बोर्ड का सदस्य नहीं होगा ।

(3) बोर्ड का कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत न कर लिया जाय ।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेशित करें ।

(5) इस धारा या धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी पचपन वर्ष से कम आयु का और बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा और न ही बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् कोई व्यक्ति सदस्य बना रहेगा ।

12--ख-(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह--

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाय ; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन में कार्य करे ; या

(ग) राज्य सरकार की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो ; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय ।

स्पष्टीकरण--जहां कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप से अन्यथा किसी प्रकार से किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, संबद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में सम्मिलित हो वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

12--ग--बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो विहित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहे ।"

सहयुक्त करने को शक्ति

8--मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-- धारा 13 का संशोधन

"परन्तु बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा ।"

9--मूल अधिनियम की धारा 14 में,-- धारा 14 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, कोष्ठक और शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायगी ;

(ग) उपधारा (3) में,---

(एक) शब्द और अंक "उपधारा (1) और (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1)", रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द "परीक्षायें जहां आवश्यक समझा जाय, संचालित करना या" निकाल दिये जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (ख) में शब्द "और परीक्षक नियुक्त करना" निकाल दिए जायेंगे ;

(चार) खण्ड (ग) में शब्द "और परीक्षकों" निकाल दिए जायेंगे ।

(पांच) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्---

(च) चयन किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति के संबंध में सिफारिश करना ;

(छ) अध्यापकों की पदच्युति, हटाये जाने या पंक्तिच्युति या उनकी उपलब्धियों में कोई कमी या उनकी वेतनवृद्धि रोकने से संबंधित विषयों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना ;

(ज) अध्यापकों की पद संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदच्युति, हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के संबंध में संस्थाओं से नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनायें प्राप्त करना ।"

धारा 15 का प्रतिस्थापन

10---मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्---

अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया

"15---(1) किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ प्रबंधतंत्र विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान संभावित, रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान से भिन्न किसी पद के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी संस्था के संबंध में नियमावली या सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गये आदेशों के अनुसार अवधारित करेगा और रिक्तियों को बोर्ड को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जो विहित किया जाय, अधिसूचित करेगा ।

(2) ऐसे अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय :

परन्तु बोर्ड प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों को राज्य में व्यापक प्रचार करेगा ।

बोर्ड द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों का पैनल

15-क--(1) बोर्ड, धारा 15 के अधीन रिक्तियों को अधिसूचित करने के पश्चात् यथा-सम्भव शीघ्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गये अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करेगा और उसे धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को विहित रीति से अग्रसारित करेगा ।

(2) ऐसे पैनल के प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी उस संस्था के, जिसके संबंध में रिक्ति अधिसूचित की गई थी, प्रबंधतंत्र को चयन किए गए अभ्यर्थियों के नाम विहित रीति से सूचित करेगा ।

(3) प्रबंधतंत्र ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे चयन किये गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा ।

(4) यदि इस प्रकार चयन किया गया अभ्यर्थी ऐसी संस्था में, नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसी बढ़ायी गई अवधि के भीतर जिसकी प्रबन्धतंत्र इस निमित्त अनुमति दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है या यदि ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी प्रबंधतंत्र के अनुरोध पर, उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अग्रसारित पैनल से नया नाम या नये नाम विहित रीति से सूचित करेगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन तैयार पैनल एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

संचित आरक्षित कोटा के लिये विशेष उपबन्ध

15-ख---यदि किसी संस्था में धारा 33 के अधीन अध्यापकों की नियुक्ति के विनियमितीकरण के पश्चात् यह पाया जाए कि धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य किसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति राज्य सरकार के किसी नियम या आदेश द्वारा उनके लिये आरक्षित पदों की संख्या से कम

पदों में नियुक्त हैं, तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था में, ऐसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों से भरे जाने तक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवर्तन के पश्चात् उत्पन्न हुई रिक्तियों में, नियुक्तियां इस प्रकार की जायेंगी कि प्रथम व प्रत्येक एकान्तर रिक्ति ऐसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों से भरी जाए ।

धारा 16 का प्रतिस्थापन

11—मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

बोर्ड की सिफारिश पर ही नियुक्तियां की जायेंगी

"16—(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 21–ख, 21–ग, 21–घ, 33, 33–क, और 33–ख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतन्त्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायगी :

परन्तु छटनी किए गए कर्मचारियों के संबंध में, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16–ङङ के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे :

परन्तु यह और कि किसी एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण द्वारा किसी अध्यापक की नियुक्ति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16–छ की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई कोई नियुक्ति शून्य होगी ।"

धारा 17 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "यथास्थिति, अध्याय दो या अध्याय तीन" के स्थान पर शब्द "अध्याय तीन" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर" के स्थान पर शब्द "आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से यथासंभव एक मास के भीतर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 18 का निकाला जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 18 निकाल दी जायगी ।

धारा 19 का प्रतिस्थापन

14—मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

सूचना आदि मांगने की शक्ति

"19—बोर्ड किसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र से धारा 14 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह उचित समझे, और प्रबन्धतंत्र उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।"

धारा 20 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 20 में, शब्द "आयोग के सचिव या आयोग या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति" रख दिये जायेंगे ।

धारा 21 का प्रतिस्थापन

16—मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

अध्यापकों को पदच्युत आदि करने पर निर्बन्धन

"21—प्रबन्धतंत्र, बोर्ड के पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी अध्यापक को पदच्युत नहीं करेगा, न सेवा से हटाएगा, न सेवा से हटाने की कोई नोटिस देगा, न पंक्तिच्युत करेगा, न उसकी परिलब्धियों में कोई कमी करेगा और न ही किसी अवधि के लिये उसकी वेतनवृद्धि (चाहे वह अस्थायी या स्थायी रूप से हो) रोकेगा, और ऐसे पूर्वानुमोदन के बिना किया गया ऐसा कोई कार्य शून्य होगा ।"

धारा 22 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 22 में, शब्द "यथास्थिति, आयोग या बोर्ड" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा ।

धारा 23 और 26 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 23 और 26 में, जहां कहीं शब्द "आयोग या" आए हों, उन्हें निकाल दिया जायगा ।

धारा 27 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (1) निकाल दी जायगी ।

धारा 28 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द "आयोग या बोर्ड" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा।

धारा 29 का निकाला जाना

21—मूल अधिनियम की धारा 29 निकाल दी जायगी।

धारा 32 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 32 में, शब्द "या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों" के स्थान पर शब्द "या इसके अधीन बनाए गए नियमों" रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायगा।"

नई धारा 33-ख का बढ़ाया जाना

24—मूल अधिनियम की धारा 33-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"33-ख—(1) आचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न ऐसे किसी अध्यापक को प्रबंधतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायगी, जो—

कतिपय अन्य नियुक्तियों का विनियमितीकरण

(क) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 के पैरा 2 के अनुसार प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 14 मई, 1991 को या उसके पूर्व, या सर्टीफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में 13 मई, 1989 को या उसके पूर्व, पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा किसी अल्पकालिक रिक्ति में नियुक्त किया गया था और ऐसी रिक्ति को बाद में मौलिक रिक्ति में परिवर्तित कर दिया गया था ; या

(दो) सर्टीफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में किसी मौलिक रिक्ति के प्रति तदर्थ आधार पर विज्ञापन के माध्यम से 14 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् किन्तु 12 जून, 1985 के पश्चात् नहीं, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था और ऐसी नियुक्ति निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी ; या

(तीन) धारा 18 के अनुसार, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा निकाले जाने के पूर्व थी, किसी मौलिक रिक्ति के प्रति तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा 31 जुलाई, 1988 को या उसके पश्चात् किन्तु 14 मई, 1991 के पश्चात् नहीं, नियुक्त किया था ;

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अनुसार विहित अर्हतायें रखता हो या ऐसी अर्हताओं से छूट प्राप्त हो ;

(ग) ऐसी नियुक्ति के दिनांक से खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य कर रहा हो ;

(घ) धारा 33-क की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट प्रकार से संस्था के प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य या प्राचार्य या प्रधान अध्यापक से सम्बन्धित न हो ;

(ङ) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा मौलिक रूप में नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया गया हो।

(2) (क) प्रत्येक सम्भाग के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(एक) उस सम्भाग का सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक, जो अध्यक्ष होगा ;

(दो) शिक्षा विभाग से भिन्न किसी विभाग में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट समूह "क" का पद धारण करने वाला एक अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ;

(तीन) उस सम्भाग की संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका :

परन्तु उस जिले के विनियमितीकरण के मामलों पर विचार करते समय जिला निरीक्षक को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति प्रत्येक ऐसे अध्यापक के मामले पर विचार करेगी और उपधारा (1) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उसकी पात्रता और उपयुक्तता के संबंध में समाधान हो जाने पर, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी मौलिक रिक्ति पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति के लिये प्रबन्धतंत्र को उसके नाम की सिफारिश करेगी।

(3) (क) मौलिक नियुक्ति के लिये अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति के दिनांक से यथा-अवधारित ज्येष्ठता-क्रम में की जायेगी।

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किए गए हों तो आयु में अपेक्षाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायेगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायेगा।

(5) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिये पात्र न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा।

(6) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिये हकदार हो जायेगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुई थी या ऐसी रिक्ति के लिये इस अधिनियम के अनुसार पहले ही चयन कर लिया गया है।"

25—मूल अधिनियम की धारा 34 निकाल दी जायगी। धारा 34 का निकाला जाना

26—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जायगी। अनुसूची का निकाला जाना

27—मूल अधिनियम की धारा 3 के, जैसी वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन निगमित निकाय के रूप में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, ऐसे प्रारम्भ पर विघटित हो जायगा और ऐसे विघटन पर— संक्रमणकालीन उपबन्ध

(क) उस आयोग की सभी सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां और उस आयोग के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यता चाहे किसी संविदा के अधीन हो, या अन्यथा हों मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित ऐसे बोर्ड को अन्तरित हो जायेंगी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ख) उस आयोग में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने मूल विभागों में प्रतिवर्तित हो जायेंगे;

(ग) उस आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवायें मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित ऐसे बोर्ड में, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अन्तरित हो जायेंगी।

(घ) मूल अधिनियम के अध्याय दो के, जैसा वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व था, अधीन उस आयोग के समक्ष लम्बित कोई विषय और मूल अधिनियम की धारा 21 के जैसी वह ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन उस आयोग के समक्ष लम्बित कोई संदर्भ, मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को अन्तरित हो जायगा।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

1193

No. 30(2)/XVII-V-1—1(KA) 17-1992

Dated Lucknow, January 6, 1993

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Ayog Aur Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1992 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 17, 1992.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES COMMISSION AND SELECTION BOARDS (AMENDMENT) ACT, 1992

(U. P. ACT NO. 1 OF 1993)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different provisions.

Amendment of long title of U.P. Act no. 5 of 1982

2. In the long title of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, the words "Commission and" shall be *omitted.*

Amendment of section 1

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), the words "Commission and" shall be *omitted.*

Amendment of Section 2

4. In section 2 of the principal Act,—

(*a*) clauses (*b*) and (*c*) shall be *omitted* ;

(*b*) *after* clause (*d*), the following clause shall be *inserted,* namely—

"(*d*-1) 'Inspector 'means the District Inspector of Schools and in relation to an institution for girls, the Regional Inspectress of Girls Schools ;" ;

(*c*) *for* clause (*g*), the following clause shall be *substituted,* namely—

"(*g*) 'member' means a member of the Board and includes the President ;";

(*d*) clauses (*i*) and (*j*) shall be *omitted* ;

(*e*) *after* clause (*k*), the following clause shall be *inserted,* namely—

"(*l*) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing from first day of July of a calendar year."

Omission of Chapter II

5. Chapter II containing sections 3 to 11 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 12

6. In section 12 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "six or more" the word "four" shall be *substituted* ;

(*b*) *for* sub-sections (3), (4) and (5) the following sub-sections shall be *substituted*, namely—

"(3) Every such Board shall consist of a President and not more than four other members, to be appointed by the State Government, on the recommendation made in the prescribed manner by a Selection Committee comprising,—

(i) Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh. —*Chairman*

(ii) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Judicial Department. —*Member*

(iii) Secretary to the Government of Uttar Pradesh incharge of the Secondary Education Department. —*Member/Secretary/Convenor*

(4) A person shall not be qualified for appointment as President unless,—

(*a*) he holds or has held any of the following posts or a post equivalent thereto, namely—

(i) District Judge ;

(ii) District Magistrate ;

(iii) Director of Education ; or

(*b*) he is, in the opinion of the State Government an, eminent educationist having made valuable contribution in the field of education.

(5) A person shall not be qualified for appointment as a member unless,—

(*a*) he holds or has held any of the following posts or a post equivalent thereto, namely—

(i) Additional District Judge ;

(ii) Additional District Magistrate ;

(iii) Additional Director of Education ;

(iv) Professor in any University established by law in Uttar Pradesh ;

(v) Principal or Reader of any College recognised by or affiliated to, any such University for a period of not less than ten years ;

(vi) Principal of any Institution for a period of not less than fifteen years ; or

(*b*) he is, in the opinion of the State Government, an eminent educationist having made valuable contribution in the field of education."

Insertion of new sections 12-A, 12-B and 12-C

7. After section 12 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely—

Term of office and conditions of service of members

"12-A(1) Subject to the provisions of this Act, every member shall hold office for a term of three years.

(2) No person shall be a member of the Board for more than two consecutive terms.

(3) A member of the Board may resign his office by writing under his hand to the State Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the State Government.

(4) The office of the members shall be whole time and the terms and conditions of their services shall be such as the State Government may, by order, direct.

(5) Notwithstanding anything contained in this section or section 12, no person shall be appointed as a member, if he is below fifty five years of age, or be appointed or continue as member, if he has attained the age of sixty two years.

1153

12-B.(1) The State Government may, by order remove from office any member, if he,—

Power of State Government to remove a member

(*a*) is adjudged an insolvent, or

(*b*) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office, or

(*c*) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct, or

(*d*) incurs any disqualification under this Act or the rules made thereunder.

Explanation—Where a member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any institution or participates in any way in the profits thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than as a member, he shall for the purpose of clause (*c*), be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

12-C. The Board may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be prescribed, any person whose assistance or advice it may desire to have, in carrying out any of the provisions of this Act."

Power to associate

Amendment of section 13

8. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted* in the end, namely—

"Provided that the Secretary of the Board shall be appointed by the State Government on deputation."

Amendment of section 14

9. In section 14 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the brackets and words "(other than a teacher specified in the Schedule)" shall be *omitted*;

(*b*) sub-section (2) shall be *omitted*;

(*c*) in sub-section (3),—

(i) *for* the words and figures "sub-sections (1) and(2)," the words and figures "sub-section (1)," shall be *substituted* ;

(ii) in clause (*a*), the words "to conduct examinations where considered necessary or" shall be *omitted*;

(iii) in clause (*b*), the words "and to appoint examiners" shall be *omitted*;

(iv) in clause (*c*) the words "and examiners" shall be *omitted* ;

(v) *after* clause (*e*), the following clauses shall be *inserted*, namely—

"(*f*) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates and their promotion ;

(*g*) to advise the management in matters relating to dismissal, removal or reduction in rank of the teachers or reduction in their emoluments or withholding of their increment ;

(*h*) to obtain the periodical returns or other informations from institutions regarding strength of the teaching staff and the appointment, promotion, dismissal, removal, termination or reduction in rank of teachers."

Substitution of section 15

10. *For* section 15 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

"15 (1) For the purposes of making appointment of a teacher, the Management shall determine the number of vacancies existing or likely to fall vacant during the year of recruitment and in the case of any post, other than the post of head of Institution, also the number of vacancies to be reserved for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories

Procedure for selection of teachers

of persons in accordance with the rules or orders issued by the Government in this behalf in regard to the institution and notify the vacancies to the Board in such manner and through such officer or authority as may be prescribed.

(2) The procedure of selection of candidates for appointment to the post of such teachers shall be such as may be prescribed :

Provided that the Board shall, with a view to inviting talented persons, give wide publicity in the State to the vacancies notified under sub-section (1).

Panel of candidates selected by Board

15-A. (1) The Board shall, as soon as possible, after the notification of vacancies under section 15, hold interview of the candidates and prepare and forward to the officer or authority referred to in sub-section (1) of section 15 in the prescribed manner, a panel of those found suitable for appointment.

(2) On receipt of such panel the officer or authority concerned shall, in the prescribed manner, intimate the Management of the Institution, in respect of which the vacancy was notified the name of the selected candidate.

(3) The Management shall, within a period of one month from the date of receipt of such intimation, issue appointment letter to such selected candidate.

(4) Where such selected candidate fails to join the post in such Institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the Management may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the officer or the authority concerned may, on the request of the Management, intimate in the prescribed manner, fresh name or names from the panel forwarded by the Board under sub-section (1).

(5) The panel prepared under sub-section (1) shall remain in force for one year.

Special provision for reserve quota backlog

15-B. Where after regularisation of appointment of teachers under section 33-B, it is found that in any Institution persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other categories referred to in sub-section (1) of section 15 are not holding such number of posts as should have been held by persons of such category according to the posts reserved for them, then notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act appointments in such Institution in the vacancies arising after the commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992 shall be so made that the first and every alternate vacancy is filled by the person of such category until the number of post reserved for such category is filled by persons belonging to such category."

Substitution of section 16

11. *For* section 16 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely—

Appointment to be made only on the recommendation of the Board

"16. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Intermediate Education Act, 1921 or the regulations made thereunder but subject to the provisions of sections 21-B, 21-C, 21-D, 33, 33-A and 33-B, every appointment of a teacher, shall, on or after the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992, be made by the Management only on the recommendation of the Board :

Provided that in respect of retrenched employees, the provisions of section 16-EE of the Intermediate Education Act, 1921, shall *mutatis mutandis* apply :

Provided further that the appointment of a teacher by transfer from one Institution to another, may be made in accordance with the regulations made under clause (*c*) of sub-section (2) of section 16-G of the Intermediate Education Act, 1921.

(2) Any appointment made in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be void."

Amendment of section 17

12. In section 17 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "Chapter II or Chapter III, as the case may be", the words, "Chapter III" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (2) *for* the words "on receipt" the words "As far as may be within one month from the date of receipt" shall be *substituted*.

Omission of section 18

13. Section 18 of the principal Act, shall be *omitted*.

Substitution of section 19

14. For section 19 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely—

Power to call for information etc.

"19. The Board may reqired the Management of an Institution to furnish such information or return regarding the matters referred to in section 14, as it thinks fit, and the Management shall be bound to comply with the same."

Amendment of section 20

15. In section 20 of the principal Act, *for* the words "The Secretary of the Commission or any other person authorised by the Commission or the Board", the words "Any person authorised in this behalf by the Board" shall be *substituted*.

Substitution of section 21

16. *For* section 21 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely—

Restriction on dismissal etc. of teachers

"21. The Management shall not, except with the prior approval of the Board, dismiss any teacher or remove him from service, or serve on him any notice of removal from service, or reduce him in rank or reduce his emoluments or with hold his increment for any period (whether temporarily or permanently) and any such thing done without such prior approval shall be void.

Amendment of section 22

17. In section 22 of the principal Act, *for* the words "the Commission or the Board, as the case may be," the words "the Board" shall be *substituted*.

Amendment of sections 23 and 26

18. In sections 23 and 26 of the principal Act, the words "the Commission or" wherever they occur, shall be *omitted*.

Amendment of section 27

19. In section 27 of the principal Act, sub-section (1) shall be *omitted*.

Amendment of section 28

20. In section 28 of the principal Act, *for* the words "the Commission or Board", the words "the Board" shall be *substituted*.

Ommission of section 29

21. Section 29 of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 32

22. In section 32 of the principal Act, *for* the words "or the rules or regulations made hereunder," the words "or the rules made hereunder" shall be *substituted*.

Amendment of section 33

23. In section 33 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the proviso the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1993."

24. *After* section 33-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely— Insertion of new section-33-B

"33-B. (1) Any teacher, other than the Principal or Headmaster, who—

Regularisation of certain other appointments

(*a*) (i) was appointed by promotion or by direct recruitment in the lecturer grade or Trained Graduate grade on or before May 14, 1991 or in the Certificate of Teaching grade on or before May 13, 1989 against a short term vacancy in accordance with paragraph 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1981 and such vacancy was subsequently converted into a substantive vacancy, or

(ii) was appointed by direct recruitment on or after July 14, 1981 but not later than June 12, 1985 on *ad hoc* basis against a substantive vacancy in the Certificate of Teaching grade through advertisement and such appointment was approved by the Inspector, or

(iii) was appointed by promotion or by direct recruitment on or after July 31, 1988 but not later than May 14, 1991 on *ad hoc* basis against a substantive vacancy in accordance with section 18, as it stood before its omission by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992 ;

(*b*) possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with, the provisions of the Intermediate Education Act, 1921 ;

(*c*) has been continuously serving the Institution from the date of such appointment up to the date of the commencement of the Act referred to in sub-clause (iii) of clause (*a*) ;

(*d*) is not related to any member of the Management or the Principal or Head Master of the Institution concerned in the manner specified in the explanation to sub-section (3) of section 33-A ;

(*e*) has been found suitable for appointment in a substantive capacity by a Selection Committee constituted under sub-section (2), shall be given substantive appointment by the Management.

(2) (*a*) For each region, there shall be a Selection Committee comprising—

(i) Regional Deputy Director of Education of that region, who shall be the Chairman,

(ii) One officer holding a Group 'A' post (specified as such by the State Government from time to time) in any department other than Education Department, to be nominated by the State Government,

(iii) Regional Inspectress of Girls School of that region :

Provided that the Inspector of the district shall be co-opted as a member while considering the cases for regularisation of that district.

(*b*) The Selection Committee constituted under clause (*a*) shall consider the case of every such teacher and on being satisfied about his eligibility and suitability in view of the provisions of sub-section (1) shall, subject to the provisions of sub-section (3) recommend his name to the Management for appointment under sub-section (1) in a substantive vacancy.

(3) (*a*) The names of the teachers shall be recommended for substantive appointment in order of seniority as determined from the date of their appointment.

(*b*) If two or more such teachers are appointed on the same date, the teacher who is elder in age shall be recommended first.

(4) Every teacher appointed in a substantive capacity under sub-section (1) shall be deemed to be on probation from the date of such substantive appointment.

1193

(5) A teacher who is not found suitable under sub-section (1) and a teacher who is not eligible to get a substantive appointment under that sub-section shall cease to hold the appointment on such date as the State Government may by order specify.

(6) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substantive appointment, if on the date of commencement of the Act referred to in sub-clause (iii) of clause (*a*) of sub-section (1), such vacancy had already been filled or selection for such vacancy has already been made in accordance with this Act."

Omission of section 34

25. Section 34 of the principal Act shall be *omitted.*

Omission of the Schedule

26. The Schedule to the principal Act shall be *omitted.*

Transitory Provisions

27. The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission constituted as a body corporate under section 3 of the principal Act as it stood immediately before the commencement of this Act, shall upon such commencement stand dissolved, and upon such dissolution—

(*a*) all properties and assets of that Commission and all debts, liabilities and obligations of that Commission whether contractual or otherwise shall stand transferred to such Board established under section 12 of the principal Act as the State Government may, by notification specify in that behalf;

(*b*) all persons serving on deputation in that Commission shall revert to their parent departments;

(*c*) the services of every whole time employee of that Commission shall stand transferred to such Board established under section 12 of the principal Act as the State Government may, by notification, specify in that behalf;

(*d*) any matter pending before that Commission under Chapter II of the principal Act as it stood before the commencement of this Act and any reference pending before that Commission under section 21 of the principal Act as it stood immediately before such commencement shall stand transferred to the Board established under section 12 of the principal Act, having jurisdiction.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०- ए० पी० 221 सा० (विधा०)--(2551)--1993 -850 (मैक०)।